

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 24, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –
(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे वर्ष 2014-2015, खण्ड-I एवं खण्ड-II, तथा
(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विनियोग लेखे वर्ष 2014-2015,
पटल पर रखेंगे.
- (2) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (दो) (घ) की अपेक्षानुसार –
(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-2015,
(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-2015, तथा
(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-2015,
पटल पर रखेंगे.
- (3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री –
(क) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013,
(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, तथा
(ग) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 30 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015,
पटल पर रखेंगे.
- (4) श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) सर्वश्री रामनिवास रावत, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, बाला बच्चन, सदस्य, श्योपुर, अशोकनगर सहित अन्य जिलों में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावटी सरसों के तेल की विक्री होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) श्री दुर्गालाल विजय, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, श्योपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीन कार्यरत कंपनियों द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पिपरोनिया में सर्प दंश से मौत होने पर आर्थिक सहायता न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति, लोक लेखा समिति का उनचासवां से दो सौ तिरपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इक्यासीवां से चौरासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (3) श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तृतीय से नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (4) श्री विश्वास सारंग, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन तथा षष्ठम् एवं सप्तम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) ग्राम गहबरा के शा.मा.शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) लवकुश नगर के शा. मा. शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम सिलापथा से ग्राम खनेता तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम खण्डौली के मजरा, कीरत सिंह का पुरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,
- (3) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के -
(क) ग्राम कालीकुण्डी नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने, तथा
(ख) भीकनगांव के अस्पताल एवं झिरन्या अस्पताल में बाउंड्रीवॉल का निर्माण किये जाने,
- (4) श्रीमती उमा देवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -
(क) ग्राम वनगांव के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) हटा नगर में हरिखटीक के मकान से खकरी तक सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
- (5) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले की नई नहर समनापुर से रसेना तक पेय जल व्यवस्था किये जाने,

- (6) श्री वीर सिंह पंवार, सदस्य, विदिशा जिले के-
(क) ग्राम कुम्हार में हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम बखाई के हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने,
- (7) श्री सूबेदार सिंह रजौधरा, सदस्य, मुरैना जिले के-
(क) ग्राम भर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शीघ्र खोले जाने,
(ख) ग्राम विशनोरी में स्टाप डेम निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम डबोखरी (बरेड) से झण्डपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के-
(क) नेमावर में शवदाह हेतु पक्का घाट निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम पीपलकोटा में नवीन पुलिया निर्माण किये जाने,
- (9) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के-
(क) उदयनगर पेडमी मार्ग पर लोहार पिपल्या (धोपघट्ट) नदी पर पुल बनाये जाने, तथा
(ख) उदयनगर विद्यालय में कृषि संकाय की कक्षाएं शुरू कराये जाने,
- (10) श्री प्रेम सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम खांच एवं महुआपार की रोड एवं जैतवारा रोड से नगौरा तक रोड निर्माण किये जाने,
- (11) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना जिले के-
(क) ग्राम ठूभनखेड़ी के मजरा जनकपुर के बीच पुल निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम पंचायत आवन में खेत-सड़क योजना से रास्ता बनाये जाने,
- (12) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के पवई के सारंगपुर ताला, देवरा, नुनागर एवं अन्य ग्रामों के निवासियों को डूब से प्रभावित भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,
- (13) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के -
(क) पिडरिया, सिधार के अन्य ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने, तथा
(ख) चितरंगी में हाई स्कूल सकरिया को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (14) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम खेजड़िया के पास नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
(15) डॉ. राम किशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम सिराली, केलनपुर रोड से वमनगांव धुरगाड़ा तक रोड निर्माण किये जाने,
(16) एड. सत्य प्रकाश सखवार, सदस्य, मुरैना जिले के उसैद पुल को यू.पी. व एम.पी. से जोड़ने वाले पुल का निर्माण किये जाने,
(17) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम तखतपुरा में तालाब निर्माण किये जाने,
(18) श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बावई के मा. शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम भंवरासा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(20) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम अल्हवा से लासा पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने,
(21) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम मवई में प्रा. स्वा. केन्द्र (पी.एच.सी.) खोले जाने,
(22) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम भुवारा के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(23) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के-
(क) लहार बाईपास मार्ग को एम.डी.आर. घोषित कर निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) जलालपुरा में हाई स्कूल भवन का निर्माण किये जाने,
(24) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम मोहगांव से सीताडोगरी मार्ग की भसमेर नदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
(25) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के सनकुआ धाम पर पक्के घाटों का निर्माण किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

- निर्धारित समय 30 मि.** (1) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि.** (2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 1 घण्टा** (3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि.** (4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि.** (5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि.** (6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि.** (7) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

- (1) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2013-14) पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.
(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत उन्नीसवें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा
30 मि.

प्रदेश में अल्प वर्षा, सूखे एवं ओला-वृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास रावत, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा